



भारत सरकार  
राष्ट्रीय सी० पी० डब्ल्यू० डी० अकादमी  
कमला नेहरू नगर, हापुड रोड  
गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश)  
दूरभाष नं. 0120-2759603  
E-Mail ID:- ceadmin-trg.cpwd@nic.in



सं. प्रशि./सम्पदा/कार्य. अभि.(मु.)/0032/छात्रावास/2018-19/549

दिनांक: 31/12/2018

### कार्यालय आदेश

सक्षम अधिकारी महोदय के अनुमोदन से के.लो.नि.वि., प्रशिक्षण संस्थान होस्टल के एकल कमरे/वी.आई.पी. कमरों की दर दिनांक 01/01/2019 से निम्न प्रकार होगी।

कमरे / वी. आई. पी. कमरे	आवेदक / आगंतुकों की श्रेणी				
	1	2	3	4	5
	केन्द्रीय सरकार / राज्य सरकार / केन्द्र एवं राज्य के पी.एस.यू. कार्मिक अकादमी में प्रशिक्षण पर	केन्द्रीय सरकार कर्मचारी / सरकारी या व्यक्तिगत कार्य से (सेवारत/ सेवानिवृत्त)	राज्य सरकार के कर्मचारी/संघ राज्य क्षेत्रों/केन्द्र और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / स्वायत्त/ सांविधिक निकायों के कर्मचारी (सेवारत/ सेवानिवृत्त)	संसद सदस्य, (उनके स्वयं ठहरने के लिए)	संसद सदस्यों/ सरकारी कर्मचारियों के साथ अतिथि के तौर पर गये प्राइवेट व्यक्ति
डबल बेड ए.सी. कमरे	105/-	210/-	525/-	105/-	1050/-
डबल बेड ए.सी. वी.आई.पी. कमरे	210/-	420/-	1050/-	150/-	2100/-

नोट:-

- वी.आई.पी. कमरे केवल कार्यपालक अभियंता या इनसे उच्च स्तर के अधिकारियों को ही आवंटित किया जाएगा।
- कमरा केवल दो व्यक्तियों के लिए होगा। किसी भी परिस्थित में अतिरिक्त गददे अनुमत्य नहीं होगा।
- एक व्यक्ति / परिवार के लिए जिसमें कर्मचारी स्वयं उपस्थित है तो अधिकतम दो कमरे बुक किए जाएंगे जिसका प्रभार कालम 2 के अनुसार होगा। कर्मचारी के स्वयं उपस्थित न होने पर कमरे उसके अतिथि के नाम से बुक किया जाएगा तथा उसका प्रभार कालम 5 के अनुसार होगा।
- राष्ट्रीय सी. पी. डब्ल्यू. डी. अकादमी में केन्द्रीय सरकार/ राज्य सरकार/ संघ राज्य क्षेत्रों/केन्द्र और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / स्वायत्त/ सांविधिक निकायों के कर्मचारी यदि प्रशिक्षण पर आते हैं तो कमरे की दर रु 105/- तथा वी.आई.पी. कमरों की दर रु 210/- प्रतिदिन होगी चाहे प्रशिक्षण कितने ही दिन का हो।
- प्रशिक्षण के अतिरिक्त अन्य सरकारी या व्यक्तिगत कार्यों के लिए कमरा अधिकतम 5 दिन के लिए आवंटित किया जाएगा।
- दिनांक 01/01/2019 से प्रभावी होस्टल आवंटन की सभी सामान्य नियम व शर्तें लागू होगी।

प्रतिलिपी :-

- निजी सचिव, अपर महानिदेशक (प्रशि.), राष्ट्रीय सी.पी.डब्ल्यू.डी. अकादमी गाजियाबाद।
- निजी सचिव, मुख्य अभियंता (प्रशि.) (प्रशा.)/ मुख्य अभियंता (वै.), मुख्य वास्तुक (प्रशि.) राष्ट्रीय सी.पी.डब्ल्यू.डी. अकादमी गाजियाबाद।
- सभी कार्यपालक अभियंता (प्रशि.), कार्य. अभि. (वै.), एवं वास्तुक, राष्ट्रीय सी.पी.डब्ल्यू.डी. अकादमी गाजियाबाद।
- सहायक अभियंता (प्रशि.) सम्पदा कार्य, राष्ट्रीय सी.पी.डब्ल्यू.डी. अकादमी गाजियाबाद।
- छात्रावास के केयर टेकर व छात्रावास नोटिस बोर्ड, गाजियाबाद।
- नोटिस बोर्ड।

कार्यपालक अभियंता (मुख्या.)  
(का. प्रति)

कार्यपालक अभियंता (मुख्या.)  
(का. प्रति)